Dr. VIPIN KUMAR SINGH

ASST. PROFESSOR.

SUBJECT- LAW OF TORT

CLASS- BA.LL.B. VI SEMESTER

Topic- Remotness of damages

क्षति की दूरस्थता

क्षति की दूरस्थता (Remoteness of Damage) - ‘’In jure non remota causa sed proxima spectatur’’(विधि में दूर के हेतुक पर ध्यान नही दिया जाता है बल्कि नजदीक के हेतुक पर ध्यान दिया जाता है)

परिचय (Introduction) – क्षति की दूरस्थता का अर्थ है – ऐसी क्षति जो निकट न हो अर्थात दूर की क्षति | क्षति दोषपूर्ण कार्य से उत्पन्न होती है अर्थात व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य से उत्पन्न दूर की क्षति | किसी दोषपूर्ण कार्य के अंतहीन परिणाम हो सकते हैं |

उदाहरणस्वरूप – यदि A गंभीर रूप से अस्पताल में पड़ा है तथा उसके मित्र B को डॉक्टर शीघ्र कोई विशिष्ट दवा बाजार से लाने को कहता है

जिसके बिना A का जीवन बचाना संभव नही है, B जब दवा लेकर अस्पताल की ओर आता है तो C की मोटरसाइकिल से C की उपेक्षा के कारण टकरा जाने से B घायल हो जाता है तथा उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है B जिस दवा को लेकर आ रहा था वह उस टक्कर में नष्ट हो जाती है | A को उक्त दवा समय से न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है | A कोई नौकरी करता था तथा उसकी पत्नी एवं दो बच्चों का वही सहारा था | उसकी पत्नी उसकी मृत्यु का आघात सहन नही कर पाती है तथा उसकी भी मृत्यु हो जाती है उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं तथा जीवनपर्यन्त दुःख झेलते हैं | उक्त बच्चों की गरीबी तथा दुःख का प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ता है आदि | तो प्रश्न यह उठता है कि क्या C समस्त परिणामों के लिए उत्तरदायी है ?

प्रतिवादी केवल निकट के परिणामों के लिए ही उत्तरदायी होता है | कौन-सी क्षति दूरस्थ है और कौन-सी निकटस्थ | इसके निर्धारण में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नही खींची जा सकती, फिर भी एक युक्तियुक्त व्यक्ति यह अनुमान लगाता है कि यह क्षति अत्यंत दूरस्थ है तो प्रतिवादी का कृत्य वादी को हुई क्षति में एक कारण होता है तो यह सम्बन्ध यह प्रदर्शित करता है कि यदि प्रतिवादी का कृत्य नही हुआ होता तो वादी को क्षति नही हुई होती | दूसरे शब्दों में, यदि कार्य एवं परिणाम एक -दूसरे से इस तरह सम्बन्धित हैं कि वे अत्यंत दूरस्थ नही है वरन् निकटस्थ है तो प्रतिवादी उन परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा | यह आवश्यक नही है कि जो घटना परिणामों के निकट हो विधि में भी निकटस्थ हो और जो परिणामों से दूर है तो विधि में भी दूर हो |

हेन्स बनाम हारवुड के वाद में प्रतिवादी के सेवक ने उपेक्षा के साथ एक भीड़ भरी गली में एक घोड़ागाड़ी छोड़ दी जिसकी देखभाल के लिए वहां कोई भी व्यक्ति नही था | एक बालक द्वारा घोड़ों पर कंकड़ फेंकने के कारण वे भाग खड़े हुए, जिसके परिणामस्वरूप एक पुलिसकर्मी, जिसने सड़क पर महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए घोड़ों को रोकने का प्रयत्न किया क्षतिग्रस्त हो गया | प्रतिवादी ने यह तर्क दिया कि यहाँ 'परिणामों की दूरस्थता' थी | परन्तु यहाँ यह तर्क अस्वीकार कर दिया गया तथा प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया |

क्षति की दूरस्थता का मापदण्ड – यह निर्धारित करने के लिए कि कौन-सी क्षति दूर की है और कौन-सी नही | इसके लिए दो मापदण्ड हैं –

(1)- प्रत्यक्षता का मापदण्ड – इस मापदण्ड के अनुसार वे सभी क्षतियाँ अत्यंत निकटस्थ मानी जायेंगी जो प्रतिवादी के आचरण से अत्यंत नजदीक होते हैं | अर्थात कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य के समस्त प्रत्यक्ष परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा | चाहे भले ही उसका पूर्वानुमान किया था या नही क्योंकि परिणाम जो प्रत्यक्षतः किसी दोषपूर्ण कार्य से उत्पन्न होते हैं, अत्यंत दूरस्थ नही होते हैं अर्थात यदि प्रतिवादी के कार्य एवं परिणाम अत्यंत जुड़े हुए हैं तो वह दूरस्थ नही होगा | ऐसे किसी वाद में विचारणीय प्रश्न केवल यह है कि क्या प्रतिवादी का कार्य दोषपूर्ण है अथवा नही अर्थात यदि प्रतिवादी युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान कर सकता था कि कोई क्षति वादी को हो सकती है तो वह अपने दोषपूर्ण कृत्य के सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा | यद्यपि वह होने वाले किसी वास्तविक परिणाम का युक्तियुक्त रूप से पूर्वानुमान नही कर सकता था |

स्मिथ बनाम लन्दन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे के वाद में प्रत्यक्षता का मापदण्ड अपनाया गया | इस वाद में ग्रीष्म ऋतु में रेल पथ के समीप झाड़ियों और घास-फूस के ढेर को रखने की अनुमति देने में रेल कंपनी लापरवाह पायी गयी | रेल के इंजन से निकली चिंगारियों ने इस ढेर में आग लगा दी | तेज़ हवा के कारण यह आग 200 गज दूरी पर स्थित वादी की कुटिया तक फ़ैल गयी, जिससे वह जलकर नष्ट हो गयी | यद्यपि प्रतिवादी ने कुटिया की क्षति का पूर्वानुमान नही किया था | फिर भी वह इसके लिए उत्तरदायी माने गये |

(2)- युक्तियुक्त पूर्वानुमान की कसौटी – इस कसौटी के अनुसार यदि किसी दोषपूर्ण कार्य का परिणाम किसी युक्तियुक्त व्यक्ति द्वारा पूर्वानुमान हो सकता है तो क्षति अत्यंत दूरस्थ की नही मानी जायेगी लेकिन यदि किसी युक्तियुक्त व्यक्ति द्वारा ऐसे परिणामों का पूर्वानुमान नही किया जा सकता है तो उसे अत्यंत दूरस्थ माना जायेगा | दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी ऐसे किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी माना जाएगा जिसके विषय में वह युक्तिसंगत पूर्वानुमान से यह सोच सकता है कि ऐसा परिणाम कारित हो सकता है |

ओवरसीज टैंकशिप (यू.के.) लिमिटेड बनाम मार्ट्स डाक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (वैगन माउण्ड) (1961)के वाद में प्रीवी कौंसिल ने प्रत्यक्षता की कसौटी को गलत माना एवं उसे अस्वीकार कर दिया एवं युक्तियुक्त पूर्वानुमान के मापदण्ड को स्वीकार किया | यह वाद इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि क्षति की दूरस्थता को निर्धारित करने की एकमात्र कसौटी पूर्वानुमान की कसौटी है | इस वाद में प्रीवी कौंसिल ने पूर्वानुमान की कसौटी को एकमात्र कसौटी माना |

वेगन माउण्ड तेल से चलने वाला एक जहाज था, जिसे अपीलकर्ता ओवरसीज टैंकशिप लिमिटेड ने किराए पर प्राप्त किया था | यह जहाज सिडनी बंदरगाह पर अपने ईंधन के लिए तेल ले रहा था | लगभग 600 फीट की दूरी पर प्रत्यर्थी मार्ट्स डाक कंपनी का जहाजघाट था, जहां एक जहाज की मरम्मत तथा वेल्डिंग किया जा रहा था | अपीलकर्ता के सेवकों की उपेक्षा से तेल की एक बहुत बड़ी मात्रा जल पर फ़ैल गयी | वह तेल जो फ़ैल गया था, प्रत्यर्थी के जहाज तक भी पहुँच गया | लगभग 60 घण्टों के बाद प्रत्यर्थी के जहाज से पिघली हुई धातु उस स्थान पर रद्दी-रुई जो वहां जमा थी, पर गिरी, जिसके परिणामस्वरूप जल पर विद्यमान तेल जलने लगा | आग का विस्तार इतना वेगवान हो गया की उसके परिणामस्वरूप जहाज और उसके उपकरणों की क्षति हो गयी | यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता यह पूर्वानुमान नही कर सकते थे कि जल पर विस्तृत तेल इस प्रकार आग पकड़ लेगा | प्रीवी कौंसिल ने यह निर्णय दिया कि री पोलमिस अब उचित विधि नही रह गयी है तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उलट दिया | चूँकि कोई युक्तियुक्त व्यक्ति ऐसी क्षति का पूर्वानुमान नही कर सकता है, इसलिए अपीलकर्ता को उपेक्षा के लिए उत्तरदायी नही माना गया यद्यपि कि उसके सेवकों की उपेक्षा क्षति का प्रत्यक्ष कारण थी | वैगन माउण्ड का निर्णय प्रीवी कौंसिल का निर्णय होने के कारण यद्यपि अपने आप में इंग्लैंड में लागू नही है और उसका केवल अनुकरणीय महत्व है | परन्तु हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स द्वारा इसको ह्यूग्स बनाम लार्ड एडवोकेट के मामले में एक अच्छी विधि की मान्यता दी है | कोर्ट ऑफ़ अपील ने भी डाउटी बनाम टर्नर मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के वाद में स्पष्ट रूप से

यह कहा था कि यह वैगन माउण्ड का निर्णय है न कि रि पोलमिस का जिसे अधिकार के रूप में स्वीकार करना चाहिए |

निष्कर्ष – क्षति की दूरस्थता का निर्धारण करने के लिए युक्तियुक्त पूर्वानुमान का सिद्धांत वर्तमान में प्रचलित है किन्तु इसकी व्याख्या करते हुए न्यायालयों ने अब इसको काफी हद तक प्रत्यक्ष परिणाम के सिद्धांत के निकट ला दिया है | वादी को हुई क्षति यदि उसी प्रकार की है जिसका पूर्वानुमान युक्तिसंगत रूप से प्रतिवादी कर सकता था तब उस क्षति को दूरस्थ नही माना जायेगा | यद्यपि क्षति का परिणाम कहीं अधिक है जिसका पूर्वानुमान नही किया जा सकता था |